न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बलिया

सा0 कमाल– 87/05

जी0आर0– 2148/05

29/07/19 अभियुक्तगण राजेन्द्र झा न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हैं। इनकी ओर से नवीन वकालत नामा के साथ एक आवेदन पत्र दाखिल कर जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की आवेदन की प्रति सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई। आवेदन पत्र संचालित किया गया अभियुक्त के विद्वाान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है इन्होंने कोई संज्ञीय अपराध नहीं किया है तथा आवेदक इसके पूर्व किसी न्यायालय में जमानत संबंधी कोई आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि दिनांक– 16/05/2019 को अभियुक्त द्वारा कोई पैरवी नहीं किए जाने के कारण इसका बंध पत्र खंडित हो गया था। अभियुक्त को जानकारी मिलने पर स्वतः न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं। भविष्य में दूबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अतः जमानत पर मुक्त किया जाए। सुना, सहायक अभियोजन पदाधिकारी को भी सुना जो जमानत का विरोध करते हैं। अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था किंतु इनके द्वारा वाद में उचित पैरवी नहीं की जा रही थी चुंकि मात्र एक ही तिथि अनुपस्थित रहे हैं। अभियुक्त को एक मौका देते हुए शर्त के साथ की वाद के निष्पादित तक प्रत्येक तिथि न्यायालय में सःदेह उपस्थित रहेंगे। मो0 5000 (पॉच हजार) रू के दो प्रति भू का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त होने का आदेश दिया जाता है। उपस्थित अभियुक्त को पुलिस परपत्र की प्रतिलिपि पर्याप्त कराया गया तथा इनके विरूद्ध धारा– 465, 467, 471, एवं 409 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया। आरोप का सारांश अभियुक्त को हिंदी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्त अस्वीकार वाद विचारण का दावा करते हैं। कार्यालय लिपिक साक्षियों पर सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक– 09/09/2019 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

अ0 मुख्य0 न्या0 दण्डा0

तत्पश्चात्

29/07/19 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त राजेन्द्र झा की ओर से मांगे गए रकम का बंध पत्र दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर .....किया जाता है।

लेखापित

अ0 मुख्य0 न्या0 दण्डा0